झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) उपकर विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथा पारित]

प्रस्तावनाः– झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) उपकर अधिनियम, 2020 के प्रयोज्यता एवं प्रवर्तन के बावत अधिनियम हेतु विधेयक ।

खनिज धारित भूमि पर उपकर लगाने हेतु एक अधिनियम जिससे मजदूरों/प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास/रोजगार का प्रावधान, जिससे कुटीर/ग्रामोद्योग, लघु एवं मंझले उद्योग के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार के अवसर, नौकरियों के नुकसान के कारण उत्पीड़न को कम करना, कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए आपदा के लिए झारखंड राज्य के मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में वृद्धि और अन्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

भारत गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित होः-

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (COVID-19 PANDEMIC) उपकर अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- परिभाषाएँ :- इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,

(1) "प्राधिकार" का तात्पर्य है इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकार।

(2) " उपकर" का तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा-4 के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत लगाये गये उपकर।

(3) "आपदा" का अर्थ किसी भी क्षेत्र में होने वाली तबाही, महामारी, दुर्घटना या गंभीर घटना है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है, या दुर्घटना या लापरवाही से होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन का काफी नुकसान होता है या रोजगार का नुकसान होता है या मानवीय पीड़ा या क्षति, और संपत्ति की क्षति, या पर्यावरण का क्षरण, या विनाश, और इस तरह की प्रकृति या परिमाण का हो जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकावला करने की क्षमता से परे है;

(4) "डिस्पैच" का अर्थ धारक द्वारा किसी भी स्थान पर खनिज असर भूमि के बाहर रन-ऑफ-माइन / खनिजों के डिस्पैच से है जो इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(5) "महामारी" का अर्थ है राज्य में घटना, बीमारी के मामले, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, या सामान्य अपेक्षा से अधिक स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य संबंधी अन्य घटनाएँ और इसमें COVID-19 शामिल हैं;

(6) " निधि" का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए; सेस " COVID-19 PANDEMIC FUND " की आय जमा करने के उद्देश से बनाया गया एक कोष; और निर्धारित तरीके से उपयोग किया जाएगा;

(7) "सरकार" का अर्थ है झारखंड राज्य सरकार;

(8) "शासी निकाय" का अर्थ ऐसे प्राधिकारियों का निकाय है, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गठित हैं;

(9) "धारक" का अर्थ खनन पट्टा धारक या खदान लीज या खनिज धारित भूमि (ओं) के अनुज्ञप्ति या पता लगाना अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति है;

(10) "खनिज निक्षेपित भूमि" का अर्थ है खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957, कोयला निक्षेप का क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष) प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; के अंतर्गत भूमि जोत या आवंटित या प्रदत्त समझा जानेवाला खनिज अधिकार के लिए दी गई भूमि जोत यानि खनन करने, खदान पट्टे या खोज पट्टे या पूर्वेक्षण लाईसेंस या पेट्रोलियम खनन पट्टे के तहत समाहित भूमि जोत।

(11) "खनिज उत्पादन" का अर्थ है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज का उत्पाद;

(12) "खनिज अधिकार" का अर्थ है खनन और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के तहत खनन पट्टे या खदान पट्टे या खोज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या पेट्रोलियम खनन पट्टे के तहत पट्टेदार या डीम्ड पट्टेदार को प्रदत्त या नवीनीकृत अधिकार ;

(13) "अधिसूचना" का अर्थ राज्य की आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है;

(14) "विहित " का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(15) "धारा" का अर्थ इस अधिनियम के तहत धारा/धाराएँ है ;

(16) "राज्य" का अर्थ है झारखंड राज्य;

(17) "अनुसूची" का अर्थ है कि इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची; तथा

इस अधिनियम में शब्द और भाव जो प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ वही होगा जो संबंधित खनिज अधिनियम और सभी संबंधित नियमों में परिभाषित है, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 53) शामिल है; ऐसे सभी अधिनियमों के तहत अधिसूचित या जारी किये गये नियम; अधिसूचना या विनियम में निर्दिष्ट।

3. खनिज धारित भूमि पर उपकर और उपकर का संग्रह-

(1) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे खनिज के प्रेषण पर, खनिज विकास से संबंधित कानून द्वारा संसद द्वारा लगाए गए किसी भी सीमा के अधीन, ऐसे खनिज के संबंध में खनिज धारित भूमि पर COVID-19 उपकर और इस तरह की दरों पर, जैसा कि मामला हो सकता है, रुपये प्रति सौ / क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं; जैसा कि किया जा सकता है निर्धारित तरीके से वहाँ लगाया और एकत्र किया जाएगा,

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया उपकर धारक द्वारा निर्धारित तरीके से खनिज के प्रेषण पर उस रीति से देय होगा जो विहित किया जाय।

(3) उपकर की धनराशि को COVID-19 PANDEMIC FUND के नाम से जाने जानेवाले निधि में जमा किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत उपकर लगाना वैध होगा।

(5) इस खंड की उप-धारा (4) के होते हुए राज्य सरकार कारण दर्शाते हुए शासी निकाय की सिफारिश पर अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के तहत उपकर की लेवी का विस्तार अन्य एक वर्ष एवं आनेवाले वर्षो के लिए भी कर सकती है।

(6) " निधि" के प्रबंधन के तरीके और प्रक्रियाएं सरकार द्वारा निर्दिष्ट या निर्धारित की जाएंगी।

4. इस अधिनियम के उद्देश्य -

एकत्र की गई निधि की आय को एक अलग खाते में विनियोजित किया जाएगा, जिसका उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा: -

(1) आपदा और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए;

(2) मजदूरों को पुनर्वास / रोजगार प्रदान करना;

(3) कुटीर / ग्रामोद्योग के क्षेत्र में ऐसी सभी अवसंरचनाओं का सृजन करना, लघु एवं मंझोले उद्यमों के रोजगार पैदा करना और महामारी के कारण नौकरियों के नुकसान के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को कम करना;

(4) मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचनाओं को बढ़ाने के लिए;

(5) सामुदायिक आश्रयों / छात्रावासों / रसोई / खाद्य सुरक्षा आदि की स्थापना करना;

(6) प्रवासी मजदूरों के परिवहन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए;

(7) इस महामारी के कारण और इस राज्य में अन्य राज्यों से आने के कारण ऐसे सभी व्यक्तियों / परिवारों को सहायता / क्षतिपूर्ति प्रदान करना, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है;

(8) किसान को उचित खेती के लिए ऐसी सभी आवश्यक सहायता / उपस्कर सहायता प्रदान करना;

(9) कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना;

(10) ऐसे सभी मजदूरों, आकस्मिक / प्रवासी मजदूरों, व्यक्तियों को सभी आवश्यक सहायता / सहयोग प्रदान करने के लिए, जिन्हें इस महामारी के दौरान रोजगार का नुकसान उठाना पड़ा या आर्थिक

नुकसान उठाना पड़ा या ऐसे अन्य सभी उद्देश्यों के लिए, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं,

5. उपकर का निर्धारण और भुगतान-

(1) इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर की आय को सरकार द्वारा विशेष रूप से संधारित COVID-19 PANDEMIC FUND नाम के एक अलग खाते में जमा किया जाएगा एवं इसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निधारित उद्देश्यों के लिए विहित या निर्दिष्ट तरीके से सरकार द्वारा प्रबंधित, संवितरित और उपयोग किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के तहत देय उपकर का निर्धारण विहित प्राधिकार द्वारा धारा 3 और अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(3) धारक द्वारा डिस्पैच के समय विहित दर/दरों पर रन-ऑफ-माइन / खनिजों की मात्रा पर खनिज असर भूमि पर उपकर की राशि देय होगी,

(4) उस स्थिति में जहां धारक उपकर के भुगतान के बिना रन-ऑफ-माइन / खनिजों का प्रेषण करता है, देय उपकर के मूल्यांकन में कोई भिन्नता होने पर निर्धारित प्राधिकार विहित प्रक्रिया के अनुरूप उपकर के ऐसे मूल्य पर 3% प्रति माह से अधिक नहीं के अंश पर ब्याज के साथ उपकर के भुगतान के लिए धारक,को नोटिस निर्गत करेगा।

स्पष्टीकरण- शब्द, "उपकर देय" का अर्थ होगा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धारा 3 के तहत देय कोई भी उपकर, लेकिन विहित तिथि के पश्चात भुगतेय नहीं और उस तारीख की समाप्ति के बाद भी, वही जो कि इस धारा के तहत जारी किए गए मांग के नोटिस में दिया गया है।

(5) इस अधिनियम के तहत धारक के पंजीकरण के उद्देश्य से; धारक का अर्थ है खनिज अधिकार अर्थात खनन या खदान का पट्टा या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत खनिज धारित भूमि (ओं) का अन्वेषण समानुदान या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम , 1957, कोकिंग कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959; और पट्टेदार / डीम्ड पट्टेदार / आबंटित जिसके तहत वे पहले से ही संबंधित खनन कानूनों के तहत पंजीकृत हैं, इस समय इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उत्परिवर्ती उत्परिवर्तन लागू होंगे।

6. अपील: -

धारा 5 के तहत मांग के नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति, धारा 5 की उपधारा (4) के तहत उक्त नोटिस की तामिला की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर, विहित प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकता है एवं उक्त प्राधिकार अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है, और जो धारा 5 के प्रावधानों के अधीन हो सकता है, अंतिम हो जाएगा।

7. पुनरीक्षण: -

सरकार स्वप्रेरणा से अथवा धारा-6 के अंतर्गत पारित किये गये आदेश से पीड़ित व्यक्ति द्वारा नब्बे दिनों के भीतर दायर किये गये पुनरीक्षण याचिका पर इस अधिनियम के तहत, ऐसे आदेश (ओं) की शुद्धता, वैधता या स्वामित्व के रूप में या इस तरह की कार्यवाही की नियमितता के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किये गये आदेश अथवा चलाये गये कार्यवाही से संबंधित अभिलेख की मांग कर सकता है तथा समीक्षा कर सकता है और अगर किसी भी मामले में सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस तरह के आदेश या कार्यवाही को संशोधित, रद्द, उलटना या पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए तदनुसार आदेश पारित कर सकते हैं:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

8. उपकर की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में -

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत देय और या निर्धारित किए गए उपकर, लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट और या विहित समय के भीतर भुगतान नहीं किए गए, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे।

9. छूट: -

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक या समीचीन है, यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी धारक अथवा धारक के वर्ग के संबंध में पूर्ण या आंशिक रूप से उपकर भुगतान का छूट दे सकता है जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

10. अनुसूची में संशोधन करने की शक्तियां-

(1) अधिनियम में संलग्न अनुसूची में किसी भी वस्तु या दर को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जोड़ या हटा या संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।

(2) सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस तरह के परिपत्र या निर्देश या विनियम जारी कर सकती है।

11. नियम बनाने की शक्ति: -

(1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति के पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्-

(i) धारा 3 के अंतर्गत उपकर लगाने वाले प्राधिकार या धारा -5 के तहत ब्याज निर्धारित करनेवाले प्राधिकार और इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर को एकत्र करने की प्रणाली;

(ii) शासी निकाय का गठन और कार्य, इसके सदस्यों के कार्य करने का तौर तरीका और इसके कार्य के संचालन की प्रक्रिया;

(iii) धारक द्वारा लेखा तथा पंजियों को खनिज निक्षेपित भूमि या कार्यालय में संधारित करने

(iv) इस अधिनियम के तहत लगाए गए उपकर का मूल्यांकन और संग्रह;

(v) उपकर के भुगतान के प्राप्तियों के लिए प्रपत्र; तथा

(vi) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित करना पड़ सकता है।

(3) इस धारा के तहत बनाए गए नियम इस अधिनियम के ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित सीमा तक दंड प्रदान कर सकते हैं: -

(i) उपकर की चोरी या परिहार के मामलों में, उपकर की चोरी या परिहार की दोगुनी राशि की सीमा तक या, जैसा कि मामला हो;

(4) इस धारा के अधीन बना सभी नियम, बनने के पश्चात्, यथाशीध्र, राज्य विधान सभा के सदन, में जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की कालावधि तक, जो एक सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरवर्त्ती सत्रों में, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में रखा जाय, उस सत्र के या ठीक पश्चात्वर्त्ती सत्र के अवसान के पूर्व सदन नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हों अथवा सदन सहमत हों कि नियम बनाया ही न जाय, तो तदुपरांत नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा

(12) अन्य कानूनों के तहत धारक की देयता प्रभावित नहीं: -

इस अधिनियम में निहित कुछ भी, इस अधिनियम के तहत उपकर के भुगतान के लिए धारक के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, जो कि किसी अन्य कानून के तहत लागू होता है।

(13) सद्भावना में किया गया कार्य -

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकार या कोई पदाधिकारी या कर्मी के विरूद्ध इस अधिनियम या नियम के अंतर्गत साफ नियत या कथित रूप से या अभिप्रेत से किये गये कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दिवानी या फौजदारी या कोई अन्य कार्यवाही नहीं चलाया जायेगा।

(14) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक -

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कोई कार्य, की गई कार्रवाई, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, निदेश, अनुदेश या दिशा निदेश कोई भी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय को छोड़कर) किसी भी मुकदमे या किसी भी चीज़ के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगी,

(15) कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति: -

यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने पर, कुछ भी कर सकती है:

बशर्ते, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी कठिनाई को दूर करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

16. निरसन और बचत: -

(i) झारखंड खनिज असर भूमि (कोविड -19 महामारी) सेस अध्यादेश, 2020 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था जब ऐसा कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी।

अनुसूची

(अनुभाग 2 (4) और 3 (1) देखें)

क्रमांक	खनिज वहन भूमि का वर्गीकरण	उपकर का दर
1	कोयला वहन करने वाली भूमि	प्रति मीट्रिक टन कोयला डिस्पैच के लिए 10/- रूपये
2	लौह अयस्क वहन करने वाली भूमि	प्रति मीट्रिक टन लौह अयस्क डिस्पैच के लिए 5/- रूपये
3	बॉक्साइट वहन करने वाली भूमि Bauxite bearing land	प्रति मीट्रिक टन बॉक्साइट डिस्पैच के लिए 20/- रूपये
4	चूना पत्थर वहन करने वाली भूमि	प्रति मीट्रिक टन चूना पत्थर डिस्पैच के लिए 10/- रूपये
5	मैंगनीज अयस्क वहन करने वाली भूमि	प्रति मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क डिस्पैच के लिए 5/- रूपये

*1. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का केंद्रीय अधिनियम 67) (प्रमुख खनिज) के तहत दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों का नाम।

2. उपकर की दरें उनके ग्रेड / गुणों से पृथक हैं।

यह विधेयक झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर विधेयक, 2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(रवीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 37(A)--50--30-09-2020 ।